राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार – 2018"

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री कालुराम खोड़ आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या. 293/2015
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 12.10.2015

अनवान

1– श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नी पुरूषोतम सिंह जी जाति राजपूत निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री मनोहर लाल पिता डालचन्द जी जाति बापना निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
2– श्री राकेश पिता गिरधारीलाल जी जाति बापना निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद

.....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय दिनांक: 04.06.2018

उपस्थित :– अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चुण्डावत
अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद की निवासी होकर प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि खाता संख्या 449 के आराजी नम्बर 2366 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि जो कि मौजा जिलोला में स्थित होकर प्रार्थी के खाते में अंकित है। उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर राजस्व अदायगी प्रार्थी द्वारा की जा रही है तथा प्रार्थी की आराजी में जबरन कब्जा करने को आमादा है, जब कि विपक्षीगण को उक्त भूमि में प्रवेश करने का कोई कानूनी अधिकार नही है न प्रार्थी के द्वारा किये जा रहे उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दिक्कत या बाधा उत्पन्न करने का कोई कानूनी अधिकार न तो पूर्व में था और न आज ही है। मौके पर पैमाईश निशानात थें, उनको भी विपक्षीगण द्वारा तोड दिया गया है, तथा जबरन कब्जा करने पर तुले हुए है, जिसे रोका जाना न्याय हित में आवश्यक है। मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि पास मे लगी हुई आ गई है, उनके बीच में कच्ची पत्थर के कोट बनी हुई है, जिसे विपक्षीगण हाल मे तोडने पर आमादा है व मौके पर पक्का निर्माण करने हेतु नीवे खोदने पर आमादा हो रहे है। ऐसी स्थिति में विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना तुरन्त आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला

a

Scanned by CamScanner

होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है, तथा जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है, यदि विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी, आधिपत्य की भूमि मे हस्तक्षेप कर पक्का निर्माण कर देगें, तो प्रार्थी को भारी अपूर्णिय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति अर्थ में संभव नही होगी।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावें कि प्रार्थी द्वारा उपयोग उपभोग की जा रही, कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 1 में किया गया है, से प्रार्थी को बेदखल नही करे, न ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा प्रार्थी के द्वारा की जा रही, हकाई, बुवाई, निन्दाई में किसी प्रकार की विग्न या बाधा ही उत्पन्न करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे, और न ही अपने किसी रिश्तेदारों, मित्रों, कारीगरो एजेन्टो आदि से करावें। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित भूमि का मौके पर जो डिमार्केशन विपक्षीगण द्वारा हटा दिया गया है, उसे पुनः कराया जावें, ताकि भविष्य में इस प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश देवपुरा उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत करने हेतु मौका चाहा गया, जो दिया गया। विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा दिनांक 13.03.2018 को जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें विपक्षीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद की प्रार्थीया रहने वाली अवश्य है, लेकिन ग्राम जिलोला के आराजी नम्बर 2366 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि विपक्षीगण के आधिपत्य में होकर उक्त आराजी जिसके की साबिक आराजी नम्बर 913 है, प्रार्थीया के पति श्री पुरूषोतम सिंह जी पिता रावत जी साहब श्री गोविन्द सिंह जी चुण्डावत राजपुत निवासी आमेट ने विपक्षी संख्या 1 के पिता एवं विपक्षी संख्या 2 के दादा श्री डालचन्द पिता श्री मोती लाल जी महाजन बापना निवासी जिलोला को 99/– रूपयें में विक्रय कर दी। पुरूषोतम सिंह जी ने विपक्षीगण को यही कहकर विक्रय की कि भूमि उनके खाते है, जबकि वास्तव में उक्त भूमि पुरूषोतम सिंह जी की पत्नी प्रार्थीया के खाते थी और उसी कारण से यह जीन केवल मात्र प्रार्थीया के खाते चली आ रही है, अन्यथा वर्ष 1964 से ही उक्त भूमि पर विपक्षीगण काबिज होकर खा–कमा रहे है। यह सर्वथा गलत है कि प्रार्थीया उक्त भूमि की खातेदार काश्तकार होकर राजस्व अदायगी प्रार्थीया के द्वारा की जा रही है एव प्रार्थीया के आधिपत्य मे चली आ रही हो, बल्कि प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है। प्रार्थीया ने केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड के नाम होने पर यह दावा प्रस्तुत कर दिया। विपक्षीगण उक्त भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहे है एवं विपक्षीगण का उक्त भूमि पर वैद्व कब्जा है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के पति ने विपक्षीगण को बेच दी, चूंकि प्रार्थीया राजघराने से है एवं पर्दानसीन महिला है, इसलिए उनका सारा कार्य प्रार्थीया के पति ही करते थे। प्रार्थीया का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है, तो अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थीया अधिकारिनी ही नही है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टिया मामला नही है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है तथा यदि विपक्षीगण के विरूद्व उनके कब्जे स्वामित्व, आधिपत्य की भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। विपक्षीगण अधिवक्ता ने विक्रय पत्र की फोटो–प्रति

a

Scanned by CamScanner

दिनांक 21.05.1964, बिकाना–नामा की फोटोप्रति एवं भू–प्रबन्धक विभाग के खसरा पत्रक की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई।

दौराने कार्यवाही पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प जिलोला में प्रस्तुत हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह जाहिर है कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2068–2071 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2366 रकबा 0.0800 मे खातेदार के नाम में श्रीमती लक्ष्मीकंवर पत्नी पुरूषोत्तमसिंह चुण्डावत सा. देह खातेदार दर्ज है। अतः उक्त खसरे मे प्रार्थी खातेदार दर्ज होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष मे बनता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रथम दृष्ट्या साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं वर्णित वादग्रस्त खाता संख्या 449 के आराजी नम्बर 2366 रकबा 0.0800 हैक्टर भूमि मे मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विपक्षी प्रार्थी को बेदखल नही करे, न ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा प्रार्थी के द्वारा हकाई, बुवाई, निन्दाई में किसी प्रकार का विग्न, बाधा ही उत्पन्न करे। उक्त कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने किसी रिश्तेदारों, मित्रों, कारीगरों एजेन्टों आदि से करावें। पत्रावली निर्णत होकर मूल वाद संलग्न रहे।

पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कमी हों ।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को " न्याय आपके द्वार " अटल सेवा केन्द्र केम्प जिलोला में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

Scanned by CamScanner